

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

कमांक:एफ.1(3)(से0नि0)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/14/ 1082

जयपुर,दिनांक: 3/1/2023

आ द श

निम्नलिखित कार्मिकों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप इन कार्मिकों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पद नाम	वर्तमान पदस्थान स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	भरत लाल मीणा	अति. प्रशा. अधिकारी	बाल विकास परियोजना, हिण्डोली (बूंदी)	13.03.1963	31.03.2023
2	मांगीलाल तम्बोली	वरिष्ठ सहायक	उप निदेशक, मबावि बांसवाड़ा	03.04.1963	30.04.2023
3	विष्णु प्रसाद टिकर	अति. प्रशा. अधिकारी	निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर	13.04.1963	30.04.2023
4	देवराम अहारी	अति. प्रशा. अधिकारी	उप निदेशक, मबावि, डुंगरपुर	13.04.1963	30.04.2023
5	हरचंद राम प्रजापत	सहा. प्रशा. अधिकारी	बाल विकास परियोजना, कल्याणपुर (बाड़मेर)	04.05.1963	31.05.2023
6	हरीसिंह मीणा	अति. प्रशा. अधिकारी	उप निदेशक, मबावि, अलवर	25.06.1963	30.06.2023
7	हरिकिशन शर्मा	वरिष्ठ सहायक	बाल विकास परियोजना, बान्दीकुई (दौसा)	15.06.1963	30.06.2023
8	रामसिंह सादू	सहा. प्रशा. अधिकारी	बाल विकास परियोजना, बाली (पाली)	15.07.1963	31.07.2023
9	योगेश चन्द सैनी	सहा. प्रशा. अधिकारी	बाल विकास परियोजना, बानसूर (अलवर)	20.07.1963	31.07.2023
10	मांगीलाल	वरिष्ठ सहायक	बाल विकास परियोजना, खारची (पाली)	03.08.1964	31.08.2023
11	विजय सिंह राठौड	सहायक सहा. प्रशा. अधिकारी	बाल विकास परियोजना, लुणकरणपुर (बीकानेर)	27.09.1963	30.09.2023
12	कैलाश चन्द्र खत्री	सहा. प्रशा. अधिकारी	बाल विकास परियोजना, गंगानगर ग्रामीण (गंगानगर)	23.10.1963	31.10.2023

3/1/2023

13	नारायण सिंह	वरिष्ठ सहायक	बाल विकास परियोजना, (नागौर)	रियावाड़ी	18.01.1964	31.01.2024
14	सुरेश चन्द दवे	सहा. अधिकारी	प्रशा. बाल विकास परियोजना, (बांसवाड़ा)	घाटोल	20.02.1964	29.02.2024
15	सरोज मकवाना	अति. अधिकारी	प्रशा. उपनिदेशक अजमेर	मबावि,	02.02.1964	29.02.2024
16	गुमान सिंह	सहा. अधिकारी	प्रशा. बाल विकास परियोजना, (जैसलमेर)	सम	15.02.1964	29.02.2024
17	अश्वनी कुमार पारीक	सहा. अधिकारी	प्रशा. निदेशालय, बाल विकास सेवाएँ, जयपुर	समेकित	14.03.1964	31.03.2024

उक्त कार्मिकों को विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण-पत्र पृथक से जारी किया जावेगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:

3/1/2023

क्रमांक: एफ.1(3)(से.नि.)स्था / आईसीडीएस / 14 / 1083-1138
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. उप निदेशक, मबावि,
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
6. संबंधित कर्मचारी
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।